भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS

Faridabad Branch Office

Address: SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007

Phones : 0129-2292175, 2292179
Fax: 0129-2291860
E-Mail: fdo@bis.gov.in
web : http://www.bis.gov.in

PRESS RELEASE

09 June 2016

BIS Raids Jeweller supplying hallmarked jewellery without BIS licence at Bahadurgarh

Based on the information received, officers of Bureau of Indian Standards (BIS), Faridabad Branch Office conducted a raid on 08 June 2016 with the help of Haryana Police from Bahadurgarh City Police Station, Bahadurgarh, District Jhajjar at the premises of jewellery outlet, M/s Komal Jewellers located at 6/15, Main Bazar, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana as directed by Head, Shri Sunil Kumar of the Faridabad Branch Office of BIS. The jeweller was found misusing BIS hallmark on Gold jewellery and supplying in the open market. The name of the owner of jewellery outlet is Shri Ashok Chhikara . The above raid was conducted by a team consisting of Shri P.K. Gupta, Scientist C & Team Leader, Shri Amarjit Singh, Scientist C, Smt. Neha Yadav, Scientist C and Shri Mohit Janoiya, Scientist B alongwith the officers of Haryana police from Bahadurgarh City Police Station, Bahadurgarh, Distt. Jhajjar, Haryana.

During the raid, large number of hallmarked jewellery was found available and being sold in the open market by M/s Komal Jewellers, Bahadurgarh by using BIS hallmark Logo. The jeweller was selling hallmarked jewellery without hallmark licence from BIS which is illegal. At the time of raid, number of sets of hallmarked kangna and rings have been found available at the jewellery outlet. The hallmarked jewellery has been seized by the team. The action is being initiated against the owner of M/s Komal Jewellers, Main Bazar, Bahadurgarh under BIS Act, 1986. The penalty for this type of offence is one year imprisonment or Rs. 50,000/- or both.

It is informed by the BIS spokesperson that the action shall be taken against the jewellers who are using BIS hallmark on the jewellery without BIS hallmark licence. Other jewellers who are selling and storing the jewellery with duplicate hallmark without BIS licence shall also be raided. It is appealed to the general public to give information regarding any misuse of hallmark if noticed at the following address:

Shri A.K. Popli,
Scientist C & P.G.O.,
Bureau of Indian Standards,
SCO 21, Sector 12,
Faridabad – 121007
Phone: 0129-2292173, 0129-2292175

Sd/- 09062016
(Sunil Kumar)
Scientist F & Head

भारतीय मानक ब्यूरो
BUREAU OF INDIAN STANDARDS
Faridabad Branch Office

Address : SCO 21, Sector 12
Faridabad-121007
Phones : 0129-2292175, 2292179
Fax: 0129-2291860
E-Mail: fdo@bis.org.in
web : http://www.bis.org.in

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक: 09 जून 2016

भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा बहादुरगढ़ में बिना बीआईएस हालमार्क लाइसेंस के हालमार्क लगाकर बेचने वाले ज्वैलर पर छापा

सूचना मिलने के आधार पर भारतीय मानक ब्यूरो के फरीदाबाद शाखा कार्यालय के अधिकारियों ने भारतीय मानक ब्यूरो, फरीदाबाद के प्रमुख श्री सुनील कुमार के आदेशानुसार बहादुरगढ़ शहर के पुलिस स्टेशन, बहादुरगढ़, जिला झज्जर से हरियाणा पुलिस के सहयोग से बी आई एस हालमार्क के दुरूपयोग के खिलाफ दिनांक 08 जून 2016 को ज्वैलरी आउटलैट, मै0 कोमल ज्वेलर्स, 6/15, मेन बाजार, बहादुरगढ हरियाणा के परिसर पर छापा मारा । ज्वैलर हाल मार्क ज्वेलरी को खुले बाज़ार में बेचता हुआ पाया गया । फर्म के मालिक का नाम श्री अशोक चीकारा है । भारतीय मानक ब्यूरो की टीम का नेतृत्व श्री पी0 के0 गुप्ता, वैज्ञानिक सी ने किया । टीम में अन्य सदस्य श्री अमरजीत सिंह, वैज्ञानिक सी, श्री मति नेहा यादव, वैज्ञानिक सी, मोहित जनोईया, वैज्ञानिक बी और हरियाणा पुलिस के अधिकारी शामिल थे 1

छापे के दौरान, हॉलमार्क लगी ज्वैलरी बड़ी संख्या में पाई गई और मै0 कोमल ज्वैलर्स खुले बाजार में बी आई एस हालमार्क लोगो लगाकर बेच रहा था । ज्वैलर हालमार्क लगी ज्वैलरी बेच रहा पाया गया जो कि भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है । छापे के समय, हॉलमार्क लगे कंगन के सैट और अंगूठियॉ आभूषण दुकान पर पाये गये । हॉलमार्क लगी ज्वैलरी को टीम ने इसे जब्त कर लिया है । इस फर्म व इसके मालिक के विरूद्ध भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत कार्यवाही की जा रही है । इस तरह के अपराध की सज़ा एक वर्ष तक का कारावास अथवा 50,000/- रूपये या दोनों जुर्माना है।

भारतीय मानक ब्यूरो के प्रवक्ता ने यह भी बताया कि बीआईएस हालमार्क लाइसेंस के बिना हाल मार्क लगाने वाले ज्वेलर्स के विरूद्व कार्यवाही की जाएगी । इस तरह से बिना लाइसेंस के हाल मार्क लगा कर जो भी कोई ज्वेलरी बना या बेच रहा है, उस पर भी जल्दी ही उचित कार्यवाही की जाएगी । आम जनता से अपील है कि हालमार्क के किसी भी दुरूपयोग की सूचना (जो उनके नोटिस में आती है) निम्नलिखित पते पर दें ।

श्री ए0 के0 पोपली,
वैज्ञानिक सी एवं पी0 जी0 ओ0,
भारतीय मानक ब्यूरो, एस0 सी ओ0 21, सैक्टर 12,
फरीदाबाद – 121007
दूरभाष: 0129-2292173, 0129-2292175

सुनीलकुमार 09.06.2016
(सुनील कुमार)
वैज्ञानिक एफ एवं प्रमुख

नई दिल्ली, 10 जून 2016 दैनिक जागरण

भारतीय मानक ब्यूरो ने ज्वेलर्स पर कसा शिकंसा

जासं, फरीदाबाद : भारतीय मानक ब्यूरो (बीआइएस) ने बिना लाइसेंस के हॉलमार्क का प्रयोग कर रहे ज्वेलर्स पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। ब्यूरो टीम ने इस क्रम में एक शिकायत मिलने पर बहादुरगढ़ के मुख्य बाजार स्थित ज्वेलरी शोरूम कोमल ज्वेलर्स पर छापामारी की। ज्वेलर बिना लाइसेंस लिए हॉलमार्क की ज्वेलरी खुले बाजार में बेचते हुए पाया गया। ब्यूरो के प्रमुख सुनील कुमार के आदेशानुसार पुलिस के सहयोग से यह कार्रवाई की गई। कार्रवाई करने गई टीम का नेतृत्व पीके गुप्ता ने किया। टीम में अमरजीत सिंह, नेहा यादव, मोहित जनोइया शामिल थे। हॉलमार्क लगी ज्वेलरी भारतीय मानक ब्यूरो के लाइसेंस के बिना अवैध है। सुनील कुमार ने बताया कि

- **बहादुरगढ़ में हॉलमार्क का दुरुपयोग कर रहे ज्वेलर्स पर छापा**

बीआइएस लाइसेंस के बिना हालमार्क लगाने वाले ज्वेलर के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह कोई भी ज्वेलर्स अगर ज्वेलर्स कारोबार कर रहा है तो कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने आम जनता की अपील की है कि अगर कहीं हॉलमार्क के दुरुपयोग की आशंका हो तो फरीदाबाद में ब्यूरो के कार्यालय एससीओ-21, सेक्टर-12 में शिकायत करें। बिना लाइसेंस लिए हॉलमार्क ज्वेलरी बेचने का अपराध एक वर्ष तक कारावास अथवा 50 हजार रुपये जुर्माना या दोनों है।